न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 102/2012 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2012/00027)

सुभान खां पुत्र श्री इनायत खां जाति मेव निवासी बल्देववास तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. उमर मौहम्मद पुत्र श्री इनायत खां जाति मेव निवासी ग्राम पाडला तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

2. फरीद खां पुत्र श्री इनायत खां जाति मेव निवासी बल्देववास तहसील डीग।
3. मु0जैतूनी पुत्री श्री इनायत खां जाति मेव पत्नी श्री असरफ निवासी हाल कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।
4. जलीश अहमद] पि0 श्री उस्मान खां जाति मेव नि0 बल्देववास तहसील डीग।
5. जहीर अहमद]
6. जाहिद खां उर्फ जाहिद अहमद पुत्र श्री उस्मान खां जाति मेव निवासी बल्देववास तहसील डीग।
7. जमील खां पुत्र श्री उस्मान खां जाति मेव निवासी बल्देववास तहसील डीग हाल कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर डीग दिनांक 2.4.2012 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 108 ग्राम बल्देववास ग्राम पंचायत टोडा दिनांक 14.12.2001

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 5.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.4.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार डीग द्वारा मृतक इनायत खां पुत्र धुन्धल जाति मेव साकिन देह खातेदार की मृत्योपरान्त एक विरासतन नामान्तरकरण संख्या 108 ग्राम बल्देववास ग्राम पंचायत टोडा दिनांक 14.12.2001 को अपीलान्ट/रैस्पोडेन्टस वारिसान के नाम भरा गया ।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की अपील उपजिला कलक्टर डीग के समक्ष अपीलान्ट उमर मौहम्मद पुत्र इनायत खां द्वारा पेश की गई जिसमें बाद कार्यवाही उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4.2012 पारित करते हुये यह आदेश दिये कि कुमर मौहम्मद और उमर मौहम्मद एक ही व्यक्ति है तथा बयनामा दिनांक 27.6.66 द्वारा भूमि उमर मौहम्मद उर्फ कुमर मौहम्मद द्वारा ही क्रय की गई है। इस नामान्तरकरण को जो बयनामा दिनांक 27.6.66 का दाखिल खारिज खोलने से पूर्व खोला गया है, इनायत खां की खातेदारी की जमीन पर ही खोला जाना चाहिऐ था। बयनामा दिनांक 27.6.66 से जो भूमि क्रय की गई है अथवा हस्तान्तरण हुई है, इस बयनामा दिनांक 27.6.66 का दाखिल खारिज केता उमर मौहम्मद उर्फ कुमर मौहम्मद के नाम किया जाना चाहिऐ था। अतः नामान्तरकरण संख्या 108 इस निर्देश के साथ तहसीलदार डीग को रिमाण्ड किया जाता है कि वह नियमानुसार बयनामा का दाखिल खारिज तस्दीक बाद जांच करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत मातहत के आदेश न्याय संगत नहीं कहे जा सकते क्यों कि तहत अदालत में रैस्पो0 ने अपील को अन्दर मियाद मानने बाबत जो प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधि0 पेश किया था उसका अपीलान्ट की ओर से जबाब पेश किया था इस पर तहत अदालत में पहिले मियाद के बिन्दु पर आदेश देना चाहिऐ था और उसके बाद ही अपील का फैसला करना चाहिऐ था परन्तु तहत अदालत ने मियाद बिन्दु को तय न कर अपील को मैरिट पर निर्णय करने में भूल की है। यह कि तहत अदालत ने रैस्पो0 1 उमर मौहम्मद व कुमर मौहम्मद एक ही व्यक्ति मानने में कानूनी भूल की है। जबकि कुमर मौहम्मद एवं रैस्पो0 1 उमर मौहम्मद अलग–अलग व्यक्ति है और कुमर मौहम्मद का छोटी सी आयु में ही देहान्त हो गया था। इसी कारण दाखिल खारिज विक्रय पत्र के आधार पर कुमर मौहम्मद के जीवित न रहने के कारण उनके पिता इनायत खां के नाम खुला था जिसकी रैस्पो0 संख्या 1 को शुरू से ही जानकारी थी। यह कि रैस्पो0 1 ने इनायत खां के नाम आराजी विवादग्रस्त का जो दाखिल खारिज दर्ज हुआ था उसकी कोई अपील नहीं की तथा यह काफी समय तक चुप रहने के बाद अपील पेश की है रैस्पो0 अपने इस व्यवहार से एसटोप्ड है। यह कि दाखिल खारिज संख्या 108 ग्राम पंचायत टोडा ने अपीलान्ट रैस्पो0 1 एवं तरतीबी रैस्पो0 के हक में दिनांक 14.12.2001 को इनायत खां की विरासत के आधार पर समस्त आराजीयात का विवादग्रस्त आराजी सहित दर्ज किया था और उसमें रैस्पो0 1 भी वारिस की हैसियत रखता था परन्तु रैस्पो0 1 ने 11 वर्ष तक कोई आपत्ति आराजी विवादग्रस्त का दा0खा0 दर्ज गलत होने बाबत नहीं की इस कारण रैस्पो0 संख्या 1 अपने इस आचरण से विबन्धित है। यह कि रैस्पो0 1 को दा0खा0 संख्या 103 दिनांक 14.12.2001 की शुरू से ही जानकारी है और आराजी पर सहखातेदार की हैसियत

बिल है। इस प्रकार 11 साल बाद अपील जानबूझ कर मियाद बाहर न्यायालय तहत गलत तथ्य पेश कर प्रस्तुत की थी। अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र जबाब पेश कर विरोध किया गया था परन्तु तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र धारा –5 को कोई मैरिट पर निर्णय नहीं किया जबकि तहत अदालत को सर्वप्रथम मैरिट पर मियाद के बिन्दु को ही तय करना चाहिऐ था। और अपील को मियाद में होने पर मैरिट पर तय करना चाहिऐ था । यह कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक क्विसकल प्रोसीडिंग है जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। यदि रैस्पो0 1 दाखिल खारिज संख्या 108 से एग्रीव्ड था तो उसे तहत अदालत में अपने अधिकार तय कराने बाबत दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट का करना चाहिऐ था। दावा में पक्षकार अधिकार तय करा सकते है। तहत अदालत ने अपील में उमर मौहम्मद एवं उमर मौहम्मद को एक ही व्यक्ति मानकर स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। यह कि तहत अदालत ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमान्ड करने में कानूनी गलती की है । अदालत मातहत को अपील में उमर मौहम्मद एवं कुमर मौहम्मद एक ही व्यक्ति अथवा अलग–अलग व्यक्ति है यह तय करने का अधिकार भी नहीं है। इस प्रश्न को केवल नियमित दावा में ही तय किया जा सकता है। इसी प्रकार राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण की पुनः जांच किये जाने का कोई अधिकार नहीं है इसके लिये विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर एसडीओ डीग के आदेश दिनांक 24.2012 निरस्त किया जावे एवं दाखिल खारिज संख्या 108 ग्राम बल्देबवास ग्राम पंचायत टोडा दिनांक 14.12.2001 बदस्तूर रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उप जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.2012 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। जहां तक तहत अदालत की ओर से अपील को मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने का प्रश्न है तो इस संबध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से कई निर्णय पारित कर यह स्पष्ट किया है कि मियाद संबधी बिन्दु पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिऐ । अपील को मियाद बिन्दु के स्थान पर गुणादगुण पर ही निर्णित करना चाहिऐ। इस संबध में वकील रैस्पो0 द्वारा आर आर डी 1995 पेज 352 व 300 पर उद्धारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया जिसके अनुसार डिले कन्डोन किये जाने को उचित माना है। इसी प्रकार डी एन जे (रेवेन्यु) 2020 पेज 155 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया सिद्धान्त में भी हवाला दिया गया है जिसमे राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह माना है कि यदि बिलम्ब का पर्याप्त व उचित कारण हो तो 40 वर्ष के बिलम्ब को भी माफ किया गया है। चूंकि रैस्पो0 द्वारा अदालत मातहत में पेश

आयुक्त
भरतपुर

ु के साथ दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है ।सका तहत अदालत ने स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। क्यों कि विवादित भूमि के खातेदार इनायत खां द्वारा अपने नावालिग पुत्र कुमर मौहम्मद के नाम जरिये वली भूमि कय की गई थी। इस भूमि से वर्ष 1966 में कय किया गया था। कुमर मौहम्मद का छोटी सी उम्र में ही देहावसान हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में पिता इनायत खां के नाम दर्ज हुई। रैस्पो0 के द्वारा कय की गई भूमि नावलिग होने के कारण राजस्व रिकार्ड में पिता इनायत खां के नाम दर्ज हुई। इस भूमि पर अपीलान्ट व अन्य रैस्पो0 का कोई वास्ता नहीं था। इसके बाबजूद रैस्पो0 के पिता इनायत खां की मृत्यु के बाद समस्त भूमि का विरासतन नामा0 खोल दिया गया। उक्त कार्यवाही रैस्पो0 5 की पत्नि खातूनी द्वारा की गई जो कि . उक्त ग्राम पंचायत की सरपंच थी। जबकि साविक ख0नं0 28 व 29 जिनके हाल ख0नं0 37, 52 को रैस्पो0 द्वारा 1966 में ही कय कर लिया गया था। तब से ही कब्जा चला आ रहा है। वकील रैस्पो0 ने तर्क दिया कि यदि कुमर मौहम्मद व उमर मौहम्मद अलग अलग व्यक्ति है तो अपीलान्ट के द्वारा कुमर मौहम्मद का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जाना चाहिऐ था परन्तु न तो तहत अदालत और ना ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है। दूसरी ओर रैस्पो0 की ओर से अदालत हाजा में जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की ग्राम बल्देववास पटवार. जटेरी .तह0 डीग के ख0नं0. 51 के खातेदार कुमर मौहम्मद उर्फ उमर मौहम्मद पुत्र इनायत खां कौम मेव साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कुमर मौहम्मद उर्फ उमर मौहम्मद एक ही व्यक्ति है। अतः अपीलाधीन आदेश तथ्यों पर आधारित होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील खारिज की जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन करने एवं अपीलाधीन आदेश से संबधित मत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जहां तक अदालत मातहत द्वारा रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबधी बिन्दु पर ही खारिज कर दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबध में विद्धान वकील रैस्पो0 द्वारा दौराने बहस में वर्णित नजीर आर आर डी 1995 पेज 352 व 300 , डी एन जे (रेवेन्यु) 2020 पेज 155 पर उद्धारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत है जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि न्यायालय को मियाद संबधी बिन्दु पर मातहत अदालत द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिऐ वशर्ते कि कोई गम्भीर अवैधानिकता या त्रुटी नहीं हो। यहां तक कि 40 वर्ष के बिलम्ब को भी पर्याप्त आधार पर कन्डोन किये जाने को उचित माना गया है। अतः हम मियाद संबधी बिन्दु पर विचार नहीं कर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। इस प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो हमे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4.2012 में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्यों कि विवादित भूमि जिसका विरासतन के आधार पर अपीलान्ट व रैस्पो0 के नाम तहसीलदार द्वारा नामा0 संख्या 108 दिनांक 14.12.2001 को

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

। गया है के संबध में रैस्पो0 द्वारा अदालत मातहत में इस आधार पर अपील पेश की विवादित भूमि जिसे स्व0 इनायत खां की पैतृक भूमि मानकर विरासतन का नामा0 खोला गया है का वर्ष 1966 में ही क्रय कर लिया गया था तथा तभी से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। रेस्पो0 की ओर से प्रतुत अपील मं अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुये उनके समक्ष प्रस्तुत हुये दस्तावेज व उभयपक्षकरान की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4.2012 को पारित किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा न तो अदालत मातहत में व नहीं अदालत हाजा में इस तरह का कोई दस्तोवज रिकार्ड पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि कुमर मौहम्मद व उमर मौहम्मद अलग अलग व्यक्ति है तथ कुमर मौहम्मद की मृत्यु होने के संबध में भी कोई दस्तोवज पेश नहीं किया दूसरी ओर वकील रैस्पो0 ने ग्राम बल्देववास पटवार हल्का जटेरी की ख0नं0 51.की सम्वत 2071–74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की है जिसके अनुसार विवादित भूमि के कुमर मौहम्मद उर्फ उमर मौहम्मद पुत्र इनायत खां खातेदार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4. 2012 में दिया गया यह अभिमत कि कुमर मौहम्मद उर्फ उमर मौहम्मद एक ही व्यक्ति है तथा बयनामा दिनांक 2.7.66 द्वारा भूमि उमर मौहम्मद उर्फ कुंवर मौहम्मद द्वारा क्रय की गई है उचित प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4.2012 में विद्धान उपजिला कलक्टर ने यह माना है कि मृतक इनायत खां की खातेदारी जमीन पर ही विरासत का नामा0 खोलना चाहिऐ था । बयनामा दिनांक 27.6.66 से जो भूमि क्रय की गई अथवा हस्तान्तरण हुई है इस बयनामा दिनांक 27.6.66 का दा0खा0 केता उमर मौहम्द उर्फ कुमर मौहम्मद के नाम किया जाना चाहिऐ था। इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 108 इस निर्देश के साथ तहसीलदार डीग को रिमाण्ड किया गया है कि वह नियमानुसार बयनामा का दाखिल खारिज तस्दीक बाद जांच करें। चूंकि विद्धान उपजिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रकरण तहसीलदार डीग को पुनः जांच हेतु प्रेषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.4.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 5.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर